पूर्व मध्य रेल **(संशोधित)**

परिचालन बुलेटिन सं 04/2026

OPERATING BULLETIN NO. 04/2026

किसी स्टेशन से कोई वाहन भाग रहा हो तो उस स्थिति में स्टेशन मास्टर दुर्घटना बचाने के लिए सामान्य एवं सहायक नियम 6.11 के अनुसार कार्यवाही करेंगे । सहायक नियम 6.11 को नीचे पुनः उद्धृत किया जा रहा है –

(क) **किसी स्टेशन से कोई वाहन भाग रहा हो तो उस स्थिति में स्टेशन मास्टर अवश्य ही :-**

(i) जिस दिशा में वाहन भागा हो उस दिशा के स्टेशन के ब्लॉकयंत्र, जहाँ लगे हों, पर निर्धारित कोड में संकेत देकर तथा उसको टेलीफोन पर भी सूचित करेगा। यदि भागते वाहन में यात्री हों तो यह सूचना अवश्य दी जानी चाहिए। नियंत्रित खंडों पर तत्काल नियंत्रक को भी सूचना दी जानी चाहिए।

(ii) सभी सिगनलों को 'ऑन स्थिति में कर दिया जाएगा उस दिशा में जानेवाली किसी भी गाड़ी को रोका जायेगा जबतक कि यह सुनिश्चित नहीं हो जाएगा कि लाइन साफ है।

(iii) दोहरी लाइन खंडों पर यदि वाहन गलत लाइन पर भागा हो तो उस दिशा में सही रास्ता पर जानेवाली गाड़ी को रोके जब तक कि यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि भागते वाहन से पार्श्ववर्ती रास्ता का उल्लंघन नहीं किया है।

(ख) **संकेत पानेवाले स्टेशन मास्टर को तत्काल नीचे लिखी कार्यवाही करनी चाहिए: -**

(i) जिस दिशा में वाहन भाग रहा हो उस दिशा में आगे बढ़ रही किसी गाड़ी को रोकने हेतु उसे तत्काल सभी सिगनलों को ऑन स्थिति में अवश्य कर देना चाहिए जबतक कि यह सुनिश्चित नहीं हो जाय कि लाइन साफ है।

(ii) भागे वाहन के आगे यदि सेक्शन में कोई आने वाली गाड़ी हो तो वह उस गाड़ी को जल्द प्रवेश कराएगा, यदि कोई लाइन साफ हो, तथा इसके बाद भागते वाहन को रोकने अथवा रास्ता बदलने की कार्यवाही करेगा।

(iii) दोहरी लाइन खंडों पर यदि भागा हुआ वाहन गलत लाइन पर आ रहा हो तो यह उस दिशा में जा रही गाड़ी को अवश्य रोकेगा जबतक कि यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि भागते वाहन ने पार्श्ववर्ती लाइन का उल्लंघन नहीं किया है।

(iv) उसे वे उपाय भी करने चाहिए जो उस परिस्थिति में भागते वाहन को रोकने में द्रुततम हों।

(v) जहाँ तक सम्भव हो यात्री लदे वाहन को अवपथित (डिरेल) नहीं कराया जाना चाहिए या डिरेलिंग साइडिंग में नहीं भेजना चाहिए। यदि अगला ब्लॉक सेक्शन साफ हो और लाइन नीची ढलान पर नहीं हो तो भागते वाहन को स्टेशन से बिना रुके गुजर जाने देना चाहिए तथा अगले स्टेशन को 'वाहन भाग रहे हैं' का संकेत अवश्य दिया जाना चाहिए।

(vi) यदि स्टेशन मास्टर भाग रहे वाहन को रोकने में समर्थ नहीं हो तो उसे जिस दिशा में वाहन भाग रहा है उस दिशा में अगला स्टेशन को दुबारा 'वाहन भाग रहे हैं' का संकेत अवश्य देना चाहिए।

(vii) यदि गाड़ी का कोई भाग या ब्रेकयान भाग गया हो तो स्टेशन मास्टर तीन पटाखा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने हेतु रेल लाइन पर अवश्य लगाएगा।

(ग) सेक्शन के दोनों छोर के स्टेशन मास्टर वाहन को खोजने के लिये सक्षम रेल कर्मचारी प्रतिनियुक्त करेंगे और यह सुनिश्चित होने के बाद कि वाहन खड़ा हो गया है और उसे बाँधकर सुरक्षित कर लिया गया है नियमानुकूल विधि से वाहन को लाने हेतु सहायता भेजेगा।

“मंडलों को सलाह दी जाती है की सर्व-संबंधित को तत्काल वितरित कर गाड़ियों के संरक्षित परिचालन हेतु सभी कर्मचारियों को काउन्सलिंग कर सजग करें।”

MANOJ KUMAR RANJAN
Digitally signed by MANOJ KUMAR RANJAN
Date: 2026.04.29 13:56:06 +05'30'

(मनोज कुमार रंजन)

उप मुख्य परिचालनप्रबंधक (सा)

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं .ई.सी.आर/ .परि.सं/.ऑपरेटिंग बुलेटिन /87(A) /505, दिनांक 29 .04.2025.

प्रतिलिपि-

(1) प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ ।

(2) मंडल रेल प्रबंधक /धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुरएवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ ।

(3) वरि.परि.मं. प्रबंधकधनबाद /, दानापुर, डी.डी.यू.,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु ।